

50/अपन 2014-15

वस्ताचित नकशे... की जाती है:-

- (1) मकान चाहर दिवारी के किलो ओर अतिक्रमण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- (2) मकान चाहर दिवारी के आगे पिछे की ओर कम से कम 3 फीट जगह छोड़नी होगी
- (3) चौबाल्ख शैप्टीक बेनना होगा
- (4) नकशे की स्वीकृति मात्र एक वर्ष की होगी
- (5) निर्मा काया में कक्षी प्रकार का रद्दीवदल पाने से कार्यालय का निगत आदेश का पालन करना होगा
- (6) जमीन के विवाद होने पर अधिसूचित क्षेत्र की अब बदेडी नहीं होगी

Pranishat kr Satyanth  
 (J.E) 27/10/14  
 कर्तीय अभियंता  
 नगर पंचायत, कोडरमा

कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर पंचायत, कोडरमा

SCALE 1" = 35'-0"